रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1974/चैत्र 6, 1896

No. 151] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1974/CHAITRA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

ORDER

New Delhi, the 27th March 1974

S.O. 214(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Delhi School Education (Removal of Difficulties) Order, 1974.

(2) It shall come into force at once

2. The scheme of management in relation to a recognised school, shall be made, as required by section 5 of the Delhi School Education Act, 1973, and the rules made thereunder, by the Governing Body, by whatever name called, of the society or trust by which such school is run, and references to the 'managing committee' in sub-rules (3) and (4) of rule 59 of the Delhi School Education Rules, 1973, shall be construed as references to the Governing Body of the school.

3. In the case of an unaided minority school, the scheme of management, made in accordance with the Delhi School Education Rules 1973, shall be forwarded, within one hundred and eighty days from the commencement of the said rules, to the appropriate authority for information.

4. Until such time as the managing committee of a school is constituted in accordance with the scheme of management as approved by the appropriate authority:—

(a) references in sub-rule (3) of rule 96 of the Delhi School Education Rules, 1973, to the Chairman or member of the managing committee shall be construed as references, respectively, to the Chairman or member of the Governing Body, by whatever name called, of trust or society by which the school is run;

(b) disciplinary authorities constituted before the commencement of the Delhi School Education Rules, 1973, or at any time thereafter but before the approval of the scheme of management, shall continue to deal with such disciplinary cases as they have taken cognizance of;

(c) aid, shall be granted to the Chairman, by whatever name called, of the Governing Body of the trust or society by which the school is run after taking an undertaking from him as required by rule 64 of the Delhi School Education Rules, 1973.

5. For a period of one hundred and eighty days from the commencement of the Delhi School Education Rules, 1973, the procedure followed immediately before such commencement with regard to payment of pay and allowances, pension and gratuity, re-imbursement of medical bills, accounting of provident fund and payment of other allowances, shall be followed.

6. Until such time the Administrator specifies the detailed procedure for the deposits to be made under sub-section (2) of section 10 of the Delhi School Education Act, 1973, and sub-rule (2) of rule 126 of the Delhi School Education Rules, 1973, the Governing Body of the school, by whatever name called shall pay its share towards pay and allowances, medical facilities, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefits of the employees, directly to the employees.

7. References in sub-rule (1) of rule 114 of the Delhi School Education Rules, 1973, to the hours shall be construed as reference to the school hours, and reference to school hours in rule 31 of the Delhi School Education Rules, 1973, shall be construed as including the time spent for assembly, recess and co-curricular activities.

8. Every appeal against the order of any punishing authority pending immediately before the constitution of the Tribunal under section 11 of the Delhi School Education Act, 1973, shall, on the constitution of the said Tribunal, stand transferred to it and the Tribunal shall proceed to deal with each such appeal from the stage which was reached immediately before the date of such transfer.

[No. F. 44-1/73-UT-1.]

S. M. S. CHARI,
Joint Educational Adviser.

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय

(शिक्षा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1974

का०आ० 214(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम दिल्ली विद्यालय शिक्षा (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में प्रबन्ध की स्कीम दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 5 द्वारा यथा अपेक्षित रूप में बनाई जाएगी और तद्धीन नियम ऐसी सोसायटी या न्यास के जिसके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा हो, किसी भी नाम से ज्ञात शासी निकाय द्वारा बनाए जाएंगे और दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 59 के उप-नियम (3) और (4) में "प्रबन्ध समिति" के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन विद्यालय के शासी निकाय के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।

3. सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय की दशा में, प्रबन्ध तन्त्र की स्कीम दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के अनुसरण में बनाई गई प्रबन्ध तन्त्र की स्कीम उक्त नियमों के प्रारम्भ से 180 दिन के भीतर समुचित प्राधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाएगी।

4. ऐसे समय तक जब तक की किसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित प्रबन्ध की स्कीम के अनुसरण में गठित नहीं की जाती है —

(क) दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 96 के उप-नियम (3) में अध्यक्ष या प्रबन्ध समिति के सदस्य के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ऐसे न्यास या सोसायटी के जिसके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा हो, किसी भी नाम से ज्ञात शासी निकाय के क्रमशः अध्यक्ष या सदस्य के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ;

(ख) दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के प्रारम्भ से पूर्व या तत्पश्चात् किसी समय प्रबन्ध की स्कीम के अनुमोदन से पूर्व, गठित अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे अनुशासनिक मामलों में विचार करते रहेंगे जिसका उन्होंने संज्ञान ले लिया हो।

(ग) ऐसे न्यास या सोसायटी के जिसके द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा हो, किसी भी नाम से ज्ञात शासी निकाय के अध्यक्ष को दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 64 द्वारा यथा अपेक्षित उनसे वचन बंध लेने के पश्चात् सहायता मन्जूर की जाएगी ।

5. दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के प्रारम्भ से 180 दिन की अवधि के लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व वेतन और भत्तों, पेन्शन और उपदान, चिकित्सीय बिलों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि का लेखा और अन्य भत्तों के दिए जाने के बारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

6. जब तक प्रशासक, दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 10 की उपधारा (2) और दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 126 के उप-नियम (2) के अधीन किए जाने वाले निक्षेपों की बाबत विस्तृत प्रक्रिया विनिर्दिष्ट न करे तब तक विद्यालय की, किसी भी नाम से ज्ञात शासी निकाय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, चिकित्सीय सुविधाओं, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित फायदों की बाबत अपना अंश सीधे नियोजकों को देता रहेगा ।

7. दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 114 के उप-नियम (1) में घंटों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन विद्यालय घंटों के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा और

दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 31 में विद्यालय घंटों के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि उसमें वह समय सम्मिलित है, जो सभा, विश्रांति और सह-पाठ्य-क्रम सम्बन्धी क्रिया-कलाप में व्यतीत हुआ हो ।

8. दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 11 के अधीन अधिकरण के गठन से ठीक पूर्व लम्बित दण्ड देने वाले प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील, उक्त अधिकरण के गठन पर, उसे अन्तरित हो जाएगी और अधिकरण उस प्रक्रम से उस पर विचार करना प्रारम्भ करेगा जिस प्रक्रम पर ऐसे अन्तरण की तारीख से ठीक पूर्व वह था ।

[सं० फा० 44-1/73-यूटी-1]

एस० एम० एस० चारी,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974